

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक-10/09/2025

संख्या-भा०व०से०(स्था०)-10/2021-4993 /प०व०ज०प० श्री गौरव ओझा, भा०व०से०, (BH:2013), वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या-भा०व०से०(स्था०)-10/2021-4994 /प०व०ज०प० श्री शशिकान्त कुमार, भा०व०से०, (BH:2013), वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर-13) में दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-भा०व०से०(स्था०)-10/2021-4994 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-10/09/2025

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-भा०व०से०(स्था०)-10/2021-4994 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-10/09/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ०आर० 22 (1) (ए) (2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

“Under F.R. 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, **to be exercised within one month from the date of such appointment**, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”



(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव